

उत्तर प्रदेश शासन
औद्योगिक विकास अनुभाग-6
संख्या-37/2023/2121/77-6-2023-एल0सी0-03/18

लखनऊ : दिनांक 15 जून, 2023

अधिसूचना

भारत का संविधान के अनुच्छेद 162 के अन्तर्गत कार्यपालिका शक्तियों का प्रयोग करते हुए श्री राज्यपाल अधिसूचना संख्या-2792/77-6-18-एल0सी0-03/18 दिनांक 16.07.2018 निर्गत तथा इसके क्रम में क्रमशः अधिसूचना संख्या-976/77-6-2019-एल0सी0-03/2018 दिनांक 05.12.2019, अधिसूचना संख्या-02/2021/126/77-6-21-एल0सी0-03/2018 टी.सी.-1 दिनांक 11.01.2021 तथा अधिसूचना संख्या-36/2022/2090/77-6-22-एल0सी0-03/2018, दिनांक 17-10-2022 द्वारा संशोधित उत्तर प्रदेश रक्षा तथा एयरोस्पेस इकाई एवं रोजगार प्रोत्साहन नीति-2018 (यथासंशोधित) में निम्नवत संशोधन करने की सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं:-

स्तम्भ-1

स्तम्भ-2

उत्तर प्रदेश रक्षा तथा एयरोस्पेस इकाई एवं रोजगार प्रोत्साहन नीति-2018(यथासंशोधित का मूल प्रस्तर)	विद्यमान प्रस्तर	एतद्वारा प्रतिस्थापित प्रस्तर
प्रस्तर 11.8 (पात्र इकाईयों को भूमि क्रय पर देय स्टाम्प ड्यूटी में 100 प्रतिशत की छूट)	इस नीति में आच्छादित पात्र इकाईयों को भूमि क्रय पर देय स्टाम्प ड्यूटी में 100 प्रतिशत की छूट अनुमन्य होगी। इसके अतिरिक्त राज्य सरकार की किसी अन्य नीति में प्राविधानित कोई सुविधा/छूट अनुमन्य नहीं होगी।	इस नीति में आच्छादित पात्र इकाईयों को भूमि क्रय अथवा पट्टा विलेख (लीज डीड) पर देय स्टाम्प ड्यूटी में 100 प्रतिशत की छूट अनुमन्य होगी। इसके अतिरिक्त राज्य सरकार की किसी अन्य नीति में प्राविधानित कोई सुविधा/छूट अनुमन्य नहीं होगी। उक्त संशोधन उत्तर प्रदेश रक्षा तथा एयरोस्पेस इकाई एवं रोजगार प्रोत्साहन नीति-2018 एवं उत्तर प्रदेश रक्षा तथा एयरोस्पेस

- 1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है।
- 2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट <http://shasanadesh.up.gov.in> से सत्यापित की जा सकती है।

		इकाई एवं रोजगार प्रोत्साहन नीति (प्रथम संशोधन)-2019 के प्रख्यापन तिथि से लागू माना जाएगा।
--	--	---

2- अधिसूचना संख्या-2792/77-6-18-एल0सी0-03/18 दिनांक 16.07.2018 निर्गत तथा इसके क्रम में क्रमशः अधिसूचना संख्या-976/77-6-2019-एल0सी0-03/2018 दिनांक 05.12.2019, अधिसूचना संख्या-02/2021/126/77-6-21-एल0सी0-03/2018टी.सी.-1 दिनांक 11.01.2021 एवं अधिसूचना संख्या-36/2022/2090/77-6-22-एल0सी0-03/2018, दिनांक 17-10-2022 द्वारा संशोधित उत्तर प्रदेश रक्षा तथा एयरोस्पेस इकाई एवं रोजगार प्रोत्साहन नीति-2018 (यथासंशोधित) की शेष शर्तें एवं प्राविधान यथावत रहेंगे।

अनिल कुमार सागर
प्रमुख सचिव।

संख्या-37/2023/2121(1)/77-6-2023-एल0सी0-03/18तददिनांक।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1. अवस्थापना एवं औद्योगिक विकास आयुक्त, उ0प्र0शासन।
2. समस्त अपर मुख्य सचिव/प्रमुख सचिव/सचिव, उ0प्र0शासन।
3. स्टाफ ऑफिसर, मुख्य सचिव, उ0प्र0शासन।
4. मुख्य कार्यपालक अधिकारी, यूपीडा।
5. मुख्य कार्यपालक अधिकारी, इन्वेस्ट यू0पी0।
6. मुख्य कार्यपालक अधिकारी, नोएडा/ग्रेटर नोएडा/यूपीसीडा/सीडा/गीडा/यीडा।
7. समस्त मण्डलायुक्त/जिलाधिकारी, उ0प्र0।
8. समस्त विभागाध्यक्ष, उ0प्र0।
9. आयुक्त एवं निदेशक, उद्योग, उद्योग निदेशालय, कानपुर।
10. निदेशक, सूचना एवं जनसम्पर्क विभाग, उ0प्र0, लखनऊ।
11. समस्त अनुभाग, औद्योगिक विकास विभाग।
12. गार्ड फाइल।

आजा से,
मनोज कुमार मौर्य
उप सचिव।

-
- 1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है।
 - 2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट <http://shasanadesh.up.gov.in> से सत्यापित की जा सकती है।